# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— हरफूल सिंह यादव (आर0ए0एस0)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, धौलपुर

अपील नम्बर 16/2017

उनवान प्रकरण

1—देवीसिंह पुत्र श्यामलाल उम्र 55 साल जाति लोधा निवासी ग्राम कासिमपुर तहसील व जिला धौलपुर
2—राकेश पुत्र डालचन्द उम्र 25 साल जाति लोधा निवासी ग्राम कासिमपुर तहसील व जिला धौलपुर .....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का ग्राम कासिमपुर तहसील व जिला धौलपुर .....रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 22.02.2017
मु0नं0 86/2017 सरकार बनाम गोविन्दसिंह वगैरा
अन्तर्गत धारा 91 एलआरएक्ट न्यायालय
तहसीलदार धौलपुर

उपस्थिति :—

अपीलान्ट की ओर से :— श्री भगवतीप्रसाद झां एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट की ओर से :— श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक

## निर्णय दिनांक : 28.02.2018

उक्त अपील अपीलान्टस द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार धौलपुर ने हल्का पटवारी ग्राम कासिमपुर की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को ग्राम कासिमपुर तहसील धौलपुर के आराजी खसरा नम्बर 1364/1175 02 वीघा किस्म बारानी सोयम भूमि पर सम्बत 2073 में संरसों की फसल बोकर अतिक्रमी मानते हुये लगान का 50 गुना अर्थात 100/—रू0 की शास्त्री अधिरोपित कर उक्त आराजी से बेदखल करने का निर्णय दिनांक 22.2.2017 को पारित किया हैं जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ था। अपीलान्ट द्वारा लिखित जबाव मय दस्तावेजात के प्रस्तुत किया गया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के जबाव को रिकार्ड पर नहीं लेकर निर्णय पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना पत्रावली का अवलोकन किये व जबाव को रिकोर्ड पर नहीं लेकर कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बिना राजस्व रिकार्ड की

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

जानकारी किये व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये पारित किया गया है। उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 1364/1175 रकवा 02 वीधा गत नम्बरान 791 व 789 से बना है जबकि गत खसरा नम्बर 791 व 792 में से एक वीधा रकवा का तहसीलदार धौलपुर द्वारा दिनांक 17.06.1964 को अपीलान्ट के पिता एंव बावा स्व0 श्यामलाल पुत्र धीयाराम जाति लोधा निवासी ग्राम कासिमपुर तहसील धौलपुर के नाम आवंटन किया गया तथा उक्त दिवस को ही उक्त गत खसरा नम्बरान में से एक वीधा आराजी पर कब्जा दिया गया। श्यामलाल का निधन वर्ष 2014 में हो चुका है। श्यामलाल की मृत्युपरान्त अपीलान्टस उनके जायज वारिस व कायम मुकाम है जिनका समस्त तर्का विरासतन प्राप्त किया है। अपीलान्ट अपने पिता एलोटमेन्ट दिनांक 17.06.1964 से अपनी जीवन पर्यान्त काबिज होकर फसल प्राप्त करते रहे उनकी मृत्युपरान्त अपीलान्ट उक्त आराजी पर व हैसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है ना कि अतिचारी है। ऐसी स्थिति में उक्त निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलान्टन के उक्त आराजी पर कानूनन विधि अनुसार आवंटन दिनांक 17.06.1964 से दस वर्षो के अन्दर ही हकूक खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। उक्त आराजी पर धारा 91 एल आर एक्ट की कार्यवाही एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.2.2017 विधि अनुसार व नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत एवं राजस्व रिकार्ड की जानकारी किये बिना पारित किया गया है जो काबिल निरस्ती है। उक्त उनवानी अपील में हुई देरी अपीलान्ट द्वारा जानवूझ कर नहीं की गई है बल्कि राजस्व विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण आवेदन गुम होने से हुई है इसलिये प्रथक से धारा 5 म्याद अधि0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिससे अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत है। अपीलान्ट ने अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जाकर आराजी खसरा नम्बर हाल 1364/1175 रकवा एक वीधा पर आवंटन दिनांक 17.06.1964 के जरिये अपीलान्टस के पक्ष में नियमन की सिफारिस की जाकर हकूक खातेदारी प्रदान किये जाने की प्रार्थना की है।

अपील अपीलान्टस दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर बहस हेतु नियत की गई।

बहस अभिभाषकगण उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1364/1175 रकवा 02 वीधा गत नम्बरान 791 व 789 से बना है जबकि गत खसरा नम्बर 791 व 792 में से एक बीधा रकवा का तहसीलदार धौलपुर द्वारा दिनांक 17.06.1964 को अपीलान्ट के पिता एवं बावा स्व0 श्यामलाल के नाम आवंटन किया गया तथा एक बीधा आराजी पर कब्जा दिया गया। श्यामलाल का निधन हो चुका है। श्यामलाल की मृत्युपरान्त अपीलान्टस उनके जायज वारिस व कायम मुकाम है जिनका समस्त तर्का विरासतन प्राप्त किया है। अपीलान्ट अपने पिता एलोटमेन्ट दिनांक 17.06.1964 से अपनी जीवन पर्यान्त काबिज होकर फसल प्राप्त करते रहे है उनकी मृत्युपरान्त अपीलान्ट उक्त आराजी पर व हैसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है ना कि अचिचारी है।उक्त आराजी पर धारा 91 एलआरएक्ट

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

की कार्यवाही एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.2.2017 विधि अनुसार व नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत एवं राजस्व रिकार्ड की जानकारी किये बिना पारित किया गया है जो काबिल निरस्ती है।

रेस्पोडेण्ट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि वर्तमान में विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में राजकीय भूमि के रूप में दर्ज रिकार्ड है जिसकी किस्म बारानी सोयम हैं जिस पर अपीलान्ट ने सम्वत 2073 में रबी फसल में सरसों की फसल बोकर अतिक्रमण किया है जिस पर धारा 91 के प्रावधान लागू होते है। विवादित आराजी पर अपीलान्ट को कोई आवंटन अगर हुआ है तो वह प्रथक से सक्षम न्यायालय में चाराजोही करें वर्तमान में अपीलान्ट की हैसियत एक अतिकमी की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है, वह सही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्षों की प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। अभिभाषक अपीलान्टस का मुख्य रूप से यह कथन है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1364/1175 रकवा 02 वीधा गत नम्बरान 791 व 789 से बना है जबकि गत खसरा नम्बर 791 व 792 में से एक बीधा रकवा का तहसीलदार धौलपुर द्वारा दिनांक 17.06.1964 को अपीलान्ट के पिता स्व0 कन्हईलाल पुत्र भोला जाति लोधा निवासी ग्राम कासिमपुर तहसील धौलपुर के नाम आवंटन किया गया तथा उक्त दिवस को ही उक्त गत खसरा नम्बरान में से एक बीधा आराजी पर कब्जा दिया गया। कन्हीलाल का निधन 7 वर्ष पूर्व हो चुका है। कन्हीलाल की मृत्युपरान्त अपीलान्टस उनके जायज वारिस व कायम मुकाम है जिनका समस्त तर्का विरासतन प्राप्त किया है। अपीलान्ट अपने पिता एलोटमेन्ट दिनांक 17.06.1964 से अपनी जीवन पर्यान्त काबिज होकर फसल प्राप्त करते रहे उनकी मृत्युपरान्त अपीलान्ट उक्त आराजी पर व हैसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है ना कि अतिचारी है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ था। अपीलान्ट द्वारा लिखित जबाव मय दस्तावेजात के प्रस्तुत किया गया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के जबाव को रिकार्ड पर नहीं लेकर निर्णय पारित कर दिया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टस को सुनवाई का पूर्ण अवसर नहीं दिया गया तथा अपीलान्टस के जबाव को रिकार्ड पर नहीं लिया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्व होने के कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.2.2017 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार धौलपुर को पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि कथित आवंटन की सत्यता एवं रिकार्ड में अमल दरामद नहीं होने के कारणों की जॉच करें यदि आवंटन सही है तो अमलदरामद की कार्यवाही नियमानुसार करने हेतु एवं अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुये

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

गुणावगुण के आधार पर आदेश पारित करे। निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ तहसीलदार धौलपुर को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम जी जावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हरफूल सिंह यादव)
अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

आदेश दिनांक 15-3-18 लिपिकीय त्रुटि संशोधन

नोट:- प्रार्थी/अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 152 CPC स्वीकार होने पर उक्त निर्णय दि॰ 28-2-18 में पेज संख्या-3 के तीसरे पैरा की पांचवी लाईन में कन्हईलाल पुत्र भोला के स्थान पर लाल स्याही से श्यामलाल पुत्र चीयाराम एंव सातवीं एंव आठवीं लाईन में कन्हईलाल के स्थान पर श्यामलाल अंकित किया गया

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner